अनुदान संख्या 48 - भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 48–DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	332,74,00		2513,35,00	2374,83,05	–138,51,95
पूरक	Supplementary	2180,61,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					138,51,83
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	580,88,00		1194,30,00	1079,13,80	–115,16,20
पूरक	Supplementary	613,42,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					115,16,20

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	32481.00	236676.21	236676.28	+0.07
पू.	S.	218061.00			
पु.	R.	–13865.79			

(I) 6402.50 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6400.00 लाख रु. अकेले ''सामान्य - अन्य व्यय - भारत अर्थ मूवर्स लि. को सहायतार्थ सहायता अनुदान की स्कीमें'' के अंतर्गत रक्षा

(I) Provision of Rs.6402.50 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.6400.00 lakhs alone accounted for under "General – Other Expenditure – Schemes of Grants-in-aid to Support to Bharat Earth Movers

उत्पादन मंत्रालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग'' -

(क) ''भारी इंजीनियरी निगम लि. के लिए पुन: प्रवर्तन पैकेज के भाग के रूप में गारंटी शुल्क सहायता''- 103.00 लाख रु. की बचत (253.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुन: प्रवर्तन पैकेज में गारंटी शुल्क कम कर दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों को बैंक वित्त पर ब्याज सहायता'' - 202.05 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमों को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों को बैंक वित्त पर कम ब्याज सहायता दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना संबंधी व्यय'' - 7155.00 लाख रु. की बचत (22750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (11516.20 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 61342.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 19 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Ltd." - due to non-utilisation of funds by the Ministry of Defence Production.

(II) Savings also occurred under the following heads:-

(A) "Engineering Industries – Other Engineering Industries" –

(a) "Guarantee fee Subsidy as part of revival package for Heavy Engineering Corporation Ltd." – saving of Rs.103.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.253.00 lakhs) was due to reduction of guarantee fee in the revival package.

(b) "Interest subsidy on bank finance to Public Sector Enterprises for implementation of Voluntary Retirement Scheme" – saving of Rs.202.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to less interest subsidy on bank finance to Public Sector Enterprises for implementation of Voluntary Retirement Schemes.

(B) "General - Industrial Education, Research and Training-Expenditure in connection with Science & Technology Plan" – saving of Rs.7155.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22750.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.11516.20 lakhs) constituted 19 percent of the supplementary grants of Rs.61342.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	4059.00				
				. .	. .	. .
पु.	R.	–4059.00				
मुख्य शीर्ष "4854" सीमेंट और धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4854" Capital Outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries					
मू.	O.	1260.00				
पू.	S.	2.00		233.00	233.00	. .
पु.	R.	–1029.00				
मुख्य शीर्ष "4858" इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries					
मू.	O.	1674.00				
पू.	S.	56303.00		59461.75	59461.75	. .
पु.	R.	1484.75				
मुख्य शीर्ष "4860" उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries					
मू.	O.	135.00				
				235.00	235.00	. .
पु.	R.	100.00				
मुख्य शीर्ष "6854" सीमेंट और धातुरहित खनिज उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6854" Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries					
मू.	O.	15001.00				
				1501.00	1501.00	. .
पु.	R.	–13500.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6858" इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	35370.00			
पू.	S.	5037.00	42343.36	42343.36	. .
पु.	R.	1936.36			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	139.00	4139.69	4139.69	. .
पु.	R.	4000.69			

(I) 60091.00 लाख रु. का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 59690.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" -

(क) "सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय सीमेंट निगम" - 2000.00 लाख रु.; और

(ख) "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान कागज निगम लि." - 1831.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ग) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि." - 678.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और

(I) Provision of Rs.60091.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these Rs.59690.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" –

(a) "Cement – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Cement Corporation of India" - Rs.2000.00 lakhs; and

(b) "Paper and Newsprint – Investments in Public Sector and Other Undertakings-Hindustan Paper Corporation Ltd." – Rs.1831.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals.

(c) "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings - Andrew Yule & Company Ltd." – Rs.678.00 lakhs – due to

सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "4854" - "अन्य - अन्य व्यय" -

(क) "सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों की व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए निर्णायक संतुलित निवेश" -260.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों में परिवर्धन, आशोधन और प्रतिस्थापन के लिए निवेश" - 1000.00 लाख रु. तात्कालिक योजना स्कीमों को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रा के विभिन्न उपक्रमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "4858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग-सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - इंस्ट्रूमेंटेशन लि. में निवेश" - 102.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष "6854" - " अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों की पुन: प्रवर्तन स्कीमों का कार्यान्वयन" - 15000.00 लाख रु. पुन: प्रवर्तन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्रा के विभिन्न उद्यमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(ङ) मुख्य शीर्ष "6858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग"-

(क) "सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों को कर्ज-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन और सांविधिक देयताओं की अदायगी" - 30037.00 लाख रु. (5037.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम लागू करने और सांविधिक देयताओं की अदायगी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रा के विभिन्न उपक्रमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(ख) "भारी उद्योग विभाग में सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों की पुनर्संरचना के लिए एकमुश्त प्रावधान" -

re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "4854" – "Others – Other Expenditure" –

(a) "Crucial Balancing Investments for sustained viability of PSEs" – Rs.260.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(b) "Investment for Addition, Modification and Replacement in PSUs" – Rs.1000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to various Public Sector Undertakings for implementation of urgent plan schemes.

(C) Major Head "4858" – "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Instrumentation Ltd." - Rs.102.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(D) Major Head "6854" - "Others - Other Loans – Implementation of revival schemes of PSEs" – Rs.15000.00 lakhs- due to re-appropriation of funds to various Public Sector Enterprises for implementation of revival schemes.

(E) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries" –

(a) "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Implementation of Voluntary Retirement Schemes (VRS) and payment of statutory dues" - Rs.30037.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.5037.00 lakhs) – due to re-appropriation of funds to various Public Sector Undertakings for implementation of Voluntary Retirement Scheme/Voluntary Separation Scheme and payment of statuary dues.

(b) "Lumpsum Provision for restructuring of Public Sector Enterprises in Department

8782.00 लाख रु. सार्वजनिक क्षेत्रा के विभिन्न उपक्रमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

of Heavy Industry" – Rs.8782.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to various Public Sector Undertakings.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1755.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 61342.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3.(I) The above savings were partly (Rs.1755.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.61342.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4854" - "सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय सीमेंट निगम लि. में निवेश" - 231.00 लाख रु.।

(A) Major Head "4854" – "Cement - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Cement Corporation of India Ltd." – Rs.231.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "4858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग- सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारत यंत्रा निगम लि. में निवेश" - 1524.00 लाख रु.।

(B) Major Head "4858" - "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Bharat Yantra Nigam Ltd." – Rs.1524.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also partly offset by excess under the following major heads:-

(का) "मुख्य शीर्ष "4858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग- सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि. में निवेश" - 339.00 लाख रु. का अधिक व्यय (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "4858" – "Other Engineering Industries - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Andrew Yule and Company Ltd." – excess of Rs.339.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "4860" - "अन्य - फोटो फिल्में - हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कं. लि. में निवेश" - 150.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(B) Major Head "4860" – "Others – Photo Films – Investment in Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd." – excess of Rs.150.00 lakhs (against nil provision); and

(गा) मुख्य शीर्ष "6854" - "सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड को कर्ज" - 1500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(C) Major Head " 6854" – "Cement - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Cement Corporation of India Ltd." – excess of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों का पुनर्गठन करने के लिए एकमुश्त प्रावधान

Excess under the above two heads was due to transfer of funds by re-appropriation from

से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ‘6858’’ - ‘‘अन्य इंजीनियरी उद्योग-सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज’’ - निम्नलिखित उपक्रमों के अंतर्गत:-

(क) एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड को कर्ज’’ - 5938.00 लाख रु. का अधिक व्यय (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ‘4552’’ से कार्यात्मक शीर्षो को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ‘‘हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को कर्ज’’ - 9494.39 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ‘‘इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड को कर्ज’’ - 3134.39 लाख रु. का अधिक व्यय (104.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घ) ‘‘भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड को कर्ज’’ - 1017.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ङ) ‘‘हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि. को कर्ज’’ - 10578.00 लाख रु. का अधिक व्यय (311.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(च) ‘‘भारत यंत्रा निगम लिमिटेड को कर्ज’’ - 9007.12 लाख रु. का अधिक व्यय (7.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(छ) ‘‘भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड को कर्ज’’ - 1555.75 लाख रु. का अधिक व्यय (554.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ङ) मुख्य शीर्ष ‘6860’’ - निम्नलिखित उपक्रमों के अंतर्गत:-

(क) ‘‘कागज तथा अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्रा के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - नेपा लिमिटेड को

lumpsum provision for restructuring of Public Sector Enterprises.

(D) Major Head “6858” – “Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings” – under the following undertakings:-

(a) “Loans to Andrew Yule and Company Ltd.” – excess of Rs.5938.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “4552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) “Loans to Hindustan Cables Ltd.” - excess of Rs.9494.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh);

(c) “Loans to Instrumentation Ltd.” – excess of Rs.3134.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.104.00 lakhs);

(d) “Loans to Heavy Engineering Corporation Ltd.” - excess of Rs.1017.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh);

(e) “Loans to HMT Ltd.” – excess of Rs.10578.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.311.00 lakhs);

(f) “Loans to Bharat Yantra Nigam Ltd.” - excess of Rs.9007.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7.00 lakhs);

(g) “Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.” - excess of Rs.1555.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.554.00 lakhs);

(E) Major Head “6860” – under the following undertakings:-

(a) “Paper and Newsprint – Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to

कर्ज'' - 1899.69 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''अन्य - फोटो फिल्म्स - हिंदुस्तान फोटो फिल्म विनिर्माण कंपनी लिमिटेड को कर्ज'' - 2053.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम लागू करने, सांविधिक देयताओं की अदायगी करने और स्कीमों के पुनः प्रवर्तन के लिए निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 193.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 194 प्रतिशत था। इसमें एक ऐसा शीर्ष शामिल है जिसमें समस्त व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

Nepa Ltd." – excess of Rs.1899.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh); and

(b) "Others - Photofilms – Loans to Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd." - excess of Rs.2053.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh).

Excess under the above eight heads was due to requirement of funds for implementation of Voluntary Retirement Scheme/Voluntary Separation Scheme, payment of statutory dues and for revival schemes.

(III) Under two heads excess of Rs.193.00 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 194 percent of the sanctioned provision. This included one head where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.